

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

उद्देश्य

लक्ष्य

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ एवं विकसित मुख्य सुविधाएँ:-

1. गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित परियोजनाएँ एवं लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएँ।
2. यौन रोग उपचार एवं नियंत्रण।
3. रक्त सुरक्षा।
4. एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.)
5. कण्डोम प्रमोशन।
6. एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम।
7. अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण।
8. स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव।
9. कम्यूनिटी केयर सेन्टर।
10. ए.आर.टी. सेन्टर।
11. सेन्टीनल सर्विलैन्स।
12. सूचना, शिक्षा एवं संचार।
13. स्टेट लेवल रेडरसल ग्रीवेन्स कमेटी।
14. E.Q.A.S. (External Quality Assurance Scheme)
15. मुख्य धारा परियोजना।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राजस्थान राज्य में राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम-तृतीय (NACP-III) (2007-2012) 6 जून 2007 से प्रारम्भ किया गया है। जिसके लक्ष्य निम्न प्रकार है -

लक्ष्य

- राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के तृतीय चरण 2007-2012 का लक्ष्य एड्स महामारी के प्रसार को रोकना एवं बढ़ती दर को पलटना (Reversal) है।
- राज्य में नवीन संक्रमण दर में 40 प्रतिशत कमी लाकर वर्ष 2012 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है।

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी की गतिविधियों द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वर्ष 2009-10 में किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1- गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएँ (TI) :

Core जनसंख्या जैसे महिला यौन कर्मियों, पुरुष का पुरुष के साथ यौन संबंध, सुई के जरिये साझा नशा करने वाले तथा ब्रिज जनसंख्या जैसे प्रवासी, व ट्रकर्स के उच्च जोखिम व्यवहार को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक रोकथाम को लक्ष्य मानकर एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम हेतु यौन व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श, यौन रोग उपचार, निःशुल्क कण्डोम व सुई/सिरिज वितरण, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 52 लक्षित परियोजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य उच्च जोखिम वर्ग के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है एवं आम जन में एच.आई.वी. संक्रमण के प्रवेश को रोकना है।

- 2- **यौन रोग उपचार एवं नियन्त्रण** : यौन रोगियों के समय पर इलाज नहीं करवाने की स्थिति में एच.आई.वी./एड्स होने की सम्भावना 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। अतः एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु NACP-III के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में सभी जिला मुख्यालयों एवं चयनित केन्द्रों (कुल 47) के राजकीय अस्पतालों में एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लिनिक कार्यरत है। इन सभी केन्द्रों पर यौन रोगियों को निःशुल्क परामर्श, जांच एवं दवाईयाँ दी जाती हैं। अधिक जोखिम वर्ग हेतु 43 एस.टी.डी. क्लिनिक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यरत हैं।

Total No. of New Patients visit at STD clinics	Total
	2009-10 (up to Jan. 10)
	65081

- 3- **रक्त सुरक्षा** : रक्त सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होने पर वैधानिक रूप से एच.आई.वी., हेपेटाइटिस-सी, हेपेटाइटिस-बी, मलेरिया एवं सिफलिस के रोग से मुक्त रक्त रक्त बैंक में उपलब्ध रहें। इसका परिवेक्षण कार्य राजस्थान स्टेट एड्स नियन्त्रण संगठन द्वारा किया जाता है।

राज्य में 44 रक्त बैंक राज्य सरकार, 4 रक्त बैंक केन्द्र सरकार एवं निजी क्षेत्र के 33 सहित कुल 81 रक्त बैंकों के माध्यम से रोगियों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। भारत सरकार (नाको) द्वारा राज्य के 45 रक्त बैंकों को आधुनिकीकरण हेतु चयनित किया गया है जिसमें से 12 मेजर रक्त बैंक, 27 जिला स्तर के रक्त बैंक, 2 मॉडल आर्ट ब्लड बैंक (जयपुर एवं उदयपुर के मेडिकल कॉलेज) एवं 4 रक्त अवयव पृथक्कीरण इकाईयाँ हैं। एक रक्त यूनिट से तैयार किये अवयवों से कई रोगियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है।

Year	Blood samples screened	HIV Positive
(2009-10 up to Jan. 10)	341319	688

इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक/गैर सरकारी क्षेत्र में 15 रक्त अवयव पृथक्कीकरण इकाईयों द्वारा रक्त अवयव उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

- 4- **एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र (ICTC)** : राज्य में 182 एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों तथा अधिक एच.आई.वी. संक्रमण की दर वाले जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कार्यरत हैं। इन सभी केन्द्रों पर एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी जानकारी, परामर्श एवं जाँच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन केन्द्रों पर एच.आई.वी. संक्रमित महिला से नवजात शिशु में संक्रमण के रोकथाम हेतु दवा गर्भवती महिला तथा शिशु को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तथा स्वस्थ व सार्थक जीवन हेतु परामर्श व संदर्भ सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

Total HIV tests at ICTC during the year 2009-10 (upto Jan. 10)	Tested	HIV +ve
	347423	6441

- 5- **कण्डोम प्रमोशन** : सोसायटी द्वारा जनसामान्य के बीच कण्डोम उपलब्धता को सरल बनाने हेतु सभी एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्रों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाओं में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं साथ ही सोशियल मार्केटिंग के माध्यम से भी कण्डोम उपलब्धता है।
- 6- **एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम (RNTCP)** : राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में समन्वय हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। जिसके द्वारा दोनों कार्यक्रमों में उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराया जाता है, दोनों रोग से ग्रसित रोगियों का उपचार आपसी सहयोग द्वारा किया जाता है एवं आपसी रेफरल को बढ़ावा दिया जाता है।
- 7- **अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण** : एड्स रोगियों को कम लागत वाली चिकित्सा की उपलब्धता के अर्न्तगत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों व जिलास्तरीय अस्पतालों में एच.आई.वी./एड्स रोगियों में अवसरवादी संक्रमणों के निदान हेतु एच.आई.वी. पॉजीटिव व्यक्तियों को बी.पी.एल. मानते हुए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क दवा वितरण व चिकित्सकीय जाँच की व्यवस्था की गई है।
- 8- **स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव** : एच.आई.वी./एड्स रोगियों के उपचार के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को आकस्मिक एक्सपोजर के बाद एच.आई.वी. संक्रमण से बचाने हेतु एन्टीरिट्रो वायरल दवा की उपलब्धता (पी.ई.पी.) सभी एच.आई.वी. जाँच केन्द्रों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों में सुनिश्चित कराई गई है।
- 9- **कम्यूनिटी केयर सेन्टर** : एड्स रोगियों के उपचार हेतु राजस्थान में आठ (8) कम्यूनिटी केयर सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं। दस शैया वाले इन केन्द्रों में एड्स पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सकीय एवं मनो सामाजिक परामर्श सहित भोजन एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कम्यूनिटी केयर सेन्टर को आर्थिक सहायता पी.एफ.आई. द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
- 10- **ए.आर.टी. सेन्टर** : राज्य में पाँच ए.आर.टी. सेन्टर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर व कोटा में संचालित हैं साथ ही राज्य में 8 लिंक ए.आर.टी. सेन्टर भी कार्यरत हैं। यहाँ एड्स के मरीजों को एन्टी रिट्रो वायरल औषधियाँ निःशुल्क वितरित की जा रही हैं।

जनवरी 10 तक ए.आर.टी. ड्रग ले रहे कुल व्यक्तियों की संख्या	पुरुष	महिला	बच्चें	अन्य
6517	3813	2296	404	4

- 11- **सेन्टीनल सर्वेलेन्स** : निश्चित अवधि, जगह व नमूनों के आधार पर प्रतिवर्ष एच.आई.वी. संक्रमण की दर ज्ञात करने हेतु चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में सेम्पल सर्वे तीन माह की अवधि के लिये करवाया जाता है।

Sentinel Surveillance 2007		
1	Prevalence in ANC site	0.25%
2	Prevalence in STD site	1.92%
3	Prevalence in FSW site	4.16%

- 12- **सूचना, शिक्षा व संचार** : राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के तृतीय चरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभावी एवं कारगर उपकरण है। एड्स जागरूकता अभियानों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में विभिन्न गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाई जा रही है। नेशनल एड्स कंट्रोल संगठन द्वारा निर्देशित विभिन्न दिवसों यथा रक्तदाता दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व युवा दिवस, विश्व एड्स दिवस इत्यादि राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित किये जाते हैं।
- प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन) एड्स नियन्त्रण अभियान, प्रोमो, फोन इन प्रोग्राम, विभिन्न विज्ञापनों के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। लोक कलाकारों के माध्यम से स्थानीय भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पारम्परिक मेलों एवं त्यौहार में एड्स जन-चेतना हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन एवं आई.ई.सी. सामग्री का वितरण किया जाता है।
- 13- **स्टेट लेवल रेडरसल ग्रीवेन्स कमेटी** - राजस्थान में एच.आई.वी./एड्स से पीडित व्यक्तियों को "छूआछूत एवं भेदभाव" (Stigma and Discrimination) से बचाने व इनके निवारण के लिये स्टेट लेवल रेडरसल ग्रीवेन्स कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी नियमित रूप से बैठक होती है।
- 14- **EQAS** : - External Quality Assurance Scheme के तहत एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी जांच की गुणवत्ता को कायम रखने हेतु चिन्हित एस.आर.एल. में जांच केन्द्र प्रभारी एवं तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही जांच रिपोर्ट को क्वालिटी चेक हेतु स्टेट रैफरल लेबोरेट्री तथा नेशनल रैफरल लैबोरेट्री स्तर पर भेजे जाते हैं।
- 15- **मुख्य धारा परियोजना** : एच.आई.वी. मेनस्ट्रीमिंग एक ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा एच.आई.वी. विषय को समस्त विभागों, संस्थाओं द्वारा संचालित आन्तरिक व बाह्य विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं नीतियों में शामिल किया जा सकें, विशेषकर वहाँ, जहाँ एच.आई.वी. विषय पर साधारणतः बात नहीं की जाती हो। 13 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में यह परियोजना चलाई जा रही है। इसी के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के लगभग 1545 कर्मचारियों, राज्य सरकार के लगभग 3120 विभिन्न स्तर के कर्मचारियों एवं 324 गैर सरकारी संस्थाओं के 7263 फ्रंटलाइन वर्कर्स (आंगनबाडी वर्कर्स, ए.एन.एम. एवं आशा) को एच.आई.वी./एड्स एवं मेनस्ट्रीमिंग विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया तथा दो प्रवासी सूचना केन्द्र बाडमेर व जयपुर जिलों में प्रारम्भ किये गये हैं व राज्य के 7 जिलों में लिंक वर्कर स्कीम चलाई जा रही है।

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी का प्रशासनिक ढांचा

माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

परियोजना निदेशक

अतिरिक्त परियोजना निदेशक

संयुक्त निदेशक
(BS&QA)

संयुक्त निदेशक
(BS)

संयुक्त निदेशक
(FINANCE)

संयुक्त निदेशक
(TI)

संयुक्त निदेशक
(IEC)

S.I.M.U.

M&E Officer

Statistical Officer